

के.के. चौधरी

डी.सी.एस.

कान्हांबी



3040 प्राविधिक विश्वविद्यालय

प्राविधिक परिसर, कान्हांबी रोड, कान्हांबी-228021

फोन: 0522-2730193

फैक्स: 0522-2730185

पत्रांक: उ.प्र.प्रा.वि./कुम.का./सा.वि./2015/1200-4491

College Code - 552

दिनांक 15.05.2015

पत्रांक

DIRECTOR
CHANDRA SHEKHAR SINGH COLLEGE OF PHARMACY, KAUSHAMBI

विषय - शैक्षिक सत्र 2015-16 की अस्थाई सम्बद्धता (Provisional Affiliation)के सम्बन्ध में।

प्रति,


उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के आधार पर विश्वविद्यालय/3040 शासन की सम्बद्धता समिति द्वारा की गई सफुटियों के तम में शायनादेश के संख्या 1587/वी.एच. 1 2015-13(5)/2015- दिनांक 15.05.2015 न। निर्गत आदेशानुसार उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन सत्र 2015-16 का अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नानुसार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता के साथ

S. No	Branch Name	Ist Shift	IInd Shift
1	BACHELOR OF PHARMACY	60	0

स्वयं चालित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2015-16 हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- संस्था द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/उ.प्र.प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना बुनियादी पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यक्रम प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फील्डट्री अनुभव, रैमिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण से दर्शाया गई कमियां/मानकों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की रिश्ता में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धक का होगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा अन्य गतिविधियों के अन्तर्गत संस्था के लेखा का अडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किराी भी भोग्य किया जायेगा।
- डी.सी.एस./एच.कॉम./बी.आर्क./एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मसी काउंसिल, आफ इण्डिया एवं काउंसिल आफ अर्किटेक्चर के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानक एवं संबंधित काउंसिल का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित मानक पूर्ण न करने की दशा में एवं अभातिशप, पी.सी.आई., सी.ओ.ए. के द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय के द्वारा संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धक का होगा।

4. संस्था प्राथमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/3040 प्राथमिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये विवर निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क आहरण आगामी द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमान प्राप्त हो पत्रों के माध्यम से तथा विद्यालय विभाग से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये तथा समय से उपलब्ध कागजात अन्वया सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को ध्यान में रखते समय समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आगामी आगामी के समय गये गये सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा शीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय को सज्जित हो जाती है तो संस्था को प्रदत्त अनुसूची सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। जितना सम्पूर्ण उतरदायित्व तब संस्थान का होगा।
6. 3040 प्राथमिक विश्वविद्यालय के पथम विनियम 2010 में प्रदत्त अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्रावधानों का अनुसूची संख्या द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्वया की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. संस्था से एक माह के अन्दर संस्था में निदेशक/प्राचार्य एवं कार्यरत शिक्षकों की सूची तथा चयन में संश्लेषित तथ्यांक उल्लिखित विश्वविद्यालय को सौंपने की कार्यवाही।
8. संस्था के निदेशक को पद रिक्त होने के तीन माह(कार्यदिवस) के अन्दर अवश्य चयनित कर लिया जाए, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को तत्पश्चात् करायी। (अध्याय: 6.15)
9. संस्था में कार्यरत शिक्षक द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करी। (अध्याय:6.18)
10. शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्वया की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार वसूली की जायेगी। (अध्याय: 6.25b)
11. सौ एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित करायी। (अध्याय:6.13)
12. संस्था की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित करायी। (अध्याय:6.15)
13. संस्था द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चरपा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्वया संस्था के विरुद्ध दायित्व कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
14. उल्लिखित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
15. संस्था में पायी गयी कमियों का प्राथमिक विश्वविद्यालय द्वारा औषिक निरीक्षण कभी भी किया जा सकता है।
16. संस्था का शैक्षिक स्तर के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
17. जिन संस्थाओं की अभातिशेष एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थाओं की सम्बद्धता तत्कार्यवाही के अधीन होगी।
18. संस्था द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जाति/जनजाति) के छात्रों से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार ही शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिया जाए अन्वया की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
19. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्था में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से शुल्क वही लिये जाए जो समय-समय पर फीस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित की गई हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने पर संस्था को Black List करने की कार्यवाही की जायेगी।
20. AMS (Academic Monitoring System) संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिषद संख्या: 3090/3040/वि/सुरा/का/2014/4414-21, दिनांक 11.07.2014 का अनुपालन सुनिश्चित कराने की वाध्यता होगी।
21. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। संस्था का यह दायित्व होगा कि यह शिक्षकों अथवा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगी कतिपय कारणों/वश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्था द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। प्रादुर्गत शर्तों के अनुपालन में विश्वविद्यालय अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियों पायी जाने की स्थिति में संस्था की उतरथाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उतरदायित्व स्वयं संस्थान/अध्ययनरत का होगा।

भवदीय,

 (के. के. चौधरी)
 कुलसचिव

- पुनरांकन संख्या व दिनांक उपरोक्त
- कतिपय निम्नलिखित का सुवन्धन एवं आचरण कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- प्रमुख सचिव, महा0 कुलसचिव/शैक्षिक संस्थाएं उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
 - 2- प्रमुख सचिव, प्राथमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
 - 3- अध्यक्ष, उल्लिखित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
 - 4- निदेशक, समाप्त कागजात संख्या: 3040/3040/वि/सुरा/का/2014/4414-21
 - 5- गाई कानून।

(के. के. चौधरी)
 कुलसचिव